न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–22 / 2019 (225 आर.टी.एक्ट)
जी.डी.एम.एस .संख्या:–2019 / 00059

उनवान

1. बृजमोहन पुत्र हरना
2. बदनसिंह पुत्र बृजमोहन
3. हुकमसिंह पुत्र बृजमोहन

जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. ज्ञानसिंह पुत्र खिलाडी
2. भूरसिंह पुत्र खिलाडी
3. नाहरसिंह पुत्र खिलाडी
4. राजन्ती बेवा खिलाडी
5. मुकेश पुत्र खिलाडी
6. गीश पुत्री खिलाडी
7. काडी पुत्री खिलाडी
8. देवनारायण पुत्र नादान
9. पप्पू पुत्र नादान
10. रान्जो बेवा नादान
11. पपीता पुत्री नादान
12. धोडी पुत्री नादान

जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर ।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद इस्लाम खांन अधिवक्ता रेस्पो0।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बृजमोहन बनाम नरसा वगैरह
अपील संख्या 71/2019

-: निर्णय :-

दिनांक 27.02.2023

1 यह अपील माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में वादग्रस्त प्रार्थना पत्र संख्या 17/2019 ... बनाम बृजमोहन में पारित निर्णय दिनांक 06.04.19 के विरुद्ध अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम मंडी गोपालपुरा तहसील बामनवास में भूमि स्थित खसरा नंबर 181 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 182 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 213 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 215 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित रही है जो गंगाधर पुत्र नरसा जाति गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। गंगाधर के दो पुत्र खिलाड़ी एवं मादान थे। गंगाधर की मृत्यु के बाद गंगाधर की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण उसके दोनों पुत्र खिलाड़ी एवं मादान के हक में खुल गया। जिसके हाल खसरा नंबर 336 रकबा 6 एयर, खसरा नंबर 337 रकबा 54 एयर, खसरा नंबर 338 रकबा 68 एयर, खसरा नंबर 507 रकबा 61 एयर, खसरा नंबर 486 रकबा 19 एयर,खसरा नंबर 487 रकबा 22 एयर, खसरा नंबर 501 रकबा 29 एयर, खसरा नंबर 502 रकबा 22 एयर कायम हुए हैं। मादान व खिलाड़ी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण इन दोनों के ही वारिसान हैं। प्रतिवादी संख्या 01 बृजमोहन को मृतक गंगाधर ने कभी गोद नहीं लिया लेकिन बृजमोहन ने बदनियति से भू-प्रबन्ध अधिकारियों से सांठ-गांठ कर खिलाड़ी व मादान के हक में हुए नामान्तकरण के तथ्य को छिपाकर बिना किसी आधार के अपने आपको मृतक गंगाधर का दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजियात का इन्द्राज स्वयं के नाम करवा लिया जबकि गंगाधर के पिता का नाम हरिनारायण है जिसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी आराजीयात का नामान्तकरण गंगाधर के नाम ही खुला है। गंगाधर के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम हरिनारायण ही दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 ने भूमि खसरा नंबर 336, 337, 338, 507 के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के हक में करा लिया जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद पत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी हाल खसरा नंबर 336 रकबा 6 एयर, 337 रकबा 54 एयर, 338 रकबा 68 एयर, 507 रकबा 61 एयर, 486 रकबा 19 एयर, 487 रकबा 22 एयर, 501 रकबा 29 एयर, 502 रकबा 22 एयर वाके ग्राम मंडी गोपालपुरा तहसील बामनवास के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में वादीगण के मुजाहमत पैदा नहीं करे। मातहत अदालत ने वादीगण का प्रार्थना पत्र ... प्रतिवादीगण को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा मे यह अपील की गई है।

3. अपील मीमो में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने जिस गंगाधर के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है वह गंगाधर पुत्र मोरया है तथा रेस्पोडेन्टका सम्बन्ध जिस गंगाधर से है उसका नाम गंगाधर पुत्र देवल्या उर्फ देवा उर्फ हरदेव है जिसके सम्बन्ध मे पत्रावली मे प्रचुर साक्ष्य मौजूद है किन्तु उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपरीत जाकर एक निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 366, 337, 338, 507 के 1/12 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है जिससे ही अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित है व अपीलांट संख्या 2 व 3 भूमि के सद्भाविक क्रेता है। मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण मे निर्णीत किये जाने वाले तीनो बिंदु प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति का बिना विधिक विवेचन किये मनमाने तौर पर दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दावे व जवाबदावे को अपने निर्णय मे अंकित कर आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 08.04.19 को अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलो मीमों के तथ्यों के दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि को करीबन 50 वर्ष से भी अधिक समय से रिकार्डेड खातेदार है तथा भूमि वर्तमान मे रहन है जिससे ही भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना स्पष्ट है किन्तु उसके बावजूद मातहत अदालत ने उक्त आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट सं0 01 उक्त आराजीयात पर कोई हक नही है ना ही वह आराजीयात पर काबिज काश्त है। अपीलांट सं0 01 ने बदनियति से भू–प्रबंध अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवाया है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज [illegible] अपने कथनों के समर्थन में दृष्टांत 2019(1) सिविल टाईम्स (एस[illegible] पे[illegible] 60 , 2019(1) सिविल टाईम्स (राज0) पेज 11, आर. आर. डी. 2004 (1) पेज 4[illegible] आर.आर.डी. 1993 पेज 45 प्रस्तुत किए।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कुन्दनसिंह जरिये वारिसान बनाम बजरंगलाल वगैरह
अपील संख्या 22/2019

7. अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आता है कि वाद का मुख्य कारण कुन्दनसिंह की खातेदारी को लेकर है। कुन्दनसिंह का पुत्र किया हरना (हरिनारायण) है या नहीं? यह तो कि भरपाई का किया गया है या इसकी / वर्तमान रिकार्ड के आधार पर अस्थायीतया बाबदार है क्योंकि मौजूदा रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का हित निहित पाया जाता है। ये सभी तथ्य मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही साबित हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया विवादित भूमि के बाबत रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश विधिक रूप से न्यायोचित है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त यहां लागू नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने दृष्टान्त 2018(1) आर.आर.डी. 156 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, जो निम्नानुसार है-

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 39, नियम 1 व 2 अस्थायी निषेधाज्ञा- प्रार्थना-पत्र खारिज किया- उच्च न्यायालय ने आदेश अपास्त किया और अन्तरिम आदेश स्वीकार किया- कृषि भूमि का विवाद- वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश युक्तियुक्त है- निर्णीत, आदेश न्यायोचित है।"

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के मुकदमा संख्या 17/2019 बजरंगलाल जागीरसिंह बनाम कुन्दनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 08.04.19 को यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय आज दिनांक 27.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner